फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कमला
बनाम
विपक्षी : श्री नारायण व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
पत्रावली संख्या : 01/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक 17.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 जा.दी. पर जवाब पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 जा.दी. पर बहस सुनी गई। प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने के लिए आवश्यक है कि प्रार्थी के जवाब उल जवाब को रेकर्ड पर लिया जाकर निर्णय पारित किया जावें। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा जवाब उल जवाब को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 6, 7, 8, 26 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 6, 7, 8, 36 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अतः विपक्षी संख्या 6, 7, 8, 26, 36 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 9, 10, 14, 35 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब व काउन्टर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक आराजीयात है जिसमें सभी खातेदार हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहें है। खाता संयुक्त होने से प्रार्थी को लोन लेने, भूमि का विकास करने में कठिनाई हो रही है जिसको लेकर आये दिन सीमा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी द्वारा मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब पेश किया कि जिसमें कथन कहा कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम हिस्से का अंकन गलत है। प्रार्थी हम विपक्षीगण के परिवार का सदस्य भी नहीं है। उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। प्रार्थी मन्ना जी के खानदान से है ओर मन्ना जी के तीन पुत्र टीला, काना एवं पदा हूए ओर टीला, काना लाओलाद फोत हो गये। टीला एवं काना की कुलीया कृषि भूमि पदा के नाम पर अंकित हुई और पदा का प्रार्थी कमला होकर वह मन्नाजी की कुलीया कृषि भूमि पर काबिज है एवं टीला [illegible] की भूमि पदा के नाम एवं पदा के निधन पर प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक [illegible] हुई है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी के पिता पदा [illegible] जी के पुत्र थे ओर प्रार्थी मना जी की भूमि पर काबिज है। [illegible] नाम का कोई नहीं था ओर न है। मेघा के सजरे में वर्णित अनुसार तीन [illegible] गांगा, नाथू एवं भेरा थे। प्रकरण में प्रार्थी हम विपक्षीगण के खानदान का नहीं है। हम विपक्षीगण के मोरूस मेघा जी थे जिनकी पत्नी वरदी थी। मेघा जी के उनकी पत्नी वरदी से तीन पुत्र हूए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:29 IST
Reason: SelfAttested

ओर वरदी मेघा जी को छोड कर मन्ना जी के यहा जाति रिति रिवाज के अनुसार
चली गयी ओर यहा मन्ना जी एव वरदी के नुत्फे से प्रार्थी के पिता पदा जी का
हुआ ओर पदा जी का प्रार्थी कमला है। यह कि हम विपक्षीगण के मौरूस मेघा जी
पुत्र प्रार्थी के पिता पदा नही थे लेकिन मेघा जी की विरासत का नामान्तकरण
करते समय पदा ने अपने आपको मेघा के तीन पुत्रों के साथ चोथा पुत्र पदा दर्शाते
अपना नाम गलत अंकित हो गया है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रार्थी का कि
प्रकार का कोई हक अधिकार एव आधिपत्य नहीं है। अधिवक्ता विपक्षीगण
काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा कडेया पटवार
वाणियातलाई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खाता न. नया 79, 44, 76,
77 पर जो कृषि आराजीयात स्थित है वो पहले श्री मेघा जी के खातेदारी हक अधि
एव आधिपत्य की थी ओर मेघा जी के निधन के बाद उक्त भूमि उनके तीन पुत्रो ग
नाथू, भेरा में हिस्सा बराबर से निहित हुई ओर गांगा के निधन के बाद उक्त
उनके पुत्र डूगां, उंकार, चोखा में हिस्सा बराबर से निहित हुई एवं डूगां के निधन
बाद उसके वारिश नारायण, दला, मोतीबाई, फेफाबाई एवं धुलीबाई में हिस्सा बराबर
निहित हुई एवं चोखा का निधन हो गया है जिसकी वारिश उसकी पुत्री नाथीबाई
और नाथीबाई का निधन हो जाने से उसके वारिस मांगू, मोहन, खुमा, नानी
मिठूबाई है। नाथू पिता मेघा के निधन हो जाने पर उसकी भूमि वारिस धन्ना, उद
हिस्सा बराबर से निहित हुई ओर धन्ना के निधन पर उसकी भूमि उसके वा
रामलाल, प्रेमी, अमरी, लक्ष्मी, नानी में हिस्सा बराबर से निहित हुई एवं उदा के नि
पर उसकी भूमि उसके वारिश लोगर पुरा, कालु, लालुराम, भागुबाई, प्रतापी
वरदीबाई एवं शान्तिबाई में निहित हुई। भेरा पिता मेघा जी के निधन के बाद उक्त
उनके वारिश दोला, रोडा मांगू में हिस्सा बाराबर से निहित हुई एवं दोला लाओ
फोत हो गये। रोडा की भूमि उसके वारिश लोगर, गोपाल, गोविन्द, केसरी, हुडकी
हिस्सा बराबर से निहित हुई एवं मागूं के निधन पर उसकी भूमि उसके वा
रतनलाल, पेमा, हिरा, रूपा मोहनी में निहित हुई। इस प्रकार से पदा मेघा जी का
नहीं होकर पदा मन्ना जी का पुत्र था ओर मन्ना जी अथवा प्रार्थी हम विपक्षीगण
खानदान के नही है। जबकि पदा श्री टीला, काना का भाई एवं मन्ना का पुत्र था
राजस्व रेकर्ड में भी पदा का वारिस कमला फर्जी बना और टीला, काना पिता मन्ना
वारिश भी कमला बना जो गलत है। कमला दो खानदान की सम्पति को प्राप्त नहीं
सकता है लेकिन वक्त सेटलमेंट सेवन से प्रार्थी के पिता का नाम पदा मेघा
विरासत में गलत अंकित हो गया जिससे उक्त भूमि में पदा का एवं पदा के बाद प्र
का नाम गलत अंकित हो गया है। वरना प्रार्थी हम विपक्षीगण के परिवार का नहीं
और न ही उसका उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार
आधिपत्य है जिससे राजस्व रेकर्ड में जहां जहां भी प्रार्थी का नाम अंकित है वह
हम विपक्षीगण अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है एवं हम विपक्षीगण प्रार्थी
विरूद्ध मूल काउन्टर क्लेम के निस्तारण तक इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ज
कराने के अधिकारी है कि प्रार्थी विवादित भूमि में उसके नाम का गलत अंकन
आधार बनाकर अन्य किसी भी व्यक्ति को रहन बेह बक्षीस आदि तरिको से हस्तान्त
नहीं करें। अतः विपक्षीगण द्वारा जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अस्थाई निषेध
से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउ
प्रार्थना पत्र का जवाब व विपक्षी के जवाब का जवाब पेश किया गया
जिसका अध्ययन किया गया।

प्रकरण मे प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा वाद बंटवाडा व स्थ
निषेधाज्ञा का पेश किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:29 IST
Reason: SelfAttested

नया। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी के नाम का प्रार्थनाग्रस्त भूमि में गलत अंकन होने का कथन किया है जिससे मूल वाद में काउन्टर वाद घोषणा का पेश किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी के नाम का अंकन गलत है या नहीं ? इस बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। इस पत्रावली में हमे तीन बिन्दुओं को ही निर्धारित करना है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार है। मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन से बचने के लिये उभय पक्ष को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी उभय पक्षकारन के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकरान के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का व विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कडेचा पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 79 की आराजी नम्बर 572, 578, 609, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 623, 627, 628, 629, 630, 631, 635, 636, 637, 638, 640, 663, 665, 671, 672, 674, 675, 682, 683, 693, 716, 717, 723, 734 किता 33 रकबा 2.7400 है. भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 44 की आराजी नम्बर 1655/624, 624, 625, 634, 652, 653, 666, 667, 668, 669, 670, 731, 732, 733, 735, 736 किता 16 रकबा 0.8400 है. भूमि, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 76 की आराजी नम्बर 611, 618, 621, 622, 632, 639, 378, 726, 727 किता 9 रकबा 0.3700 है. भूमि, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 74 की आराजी नम्बर 715, 718, 719, 720, 721 किता 5 रकबा 0.1800 है. भूमि, परिशिष्ट (ड) की खाता संख्या नया 77 की आराजी नम्बर 1666/613, 612, 613 किता 3 रकबा 0.1300 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:29 IST
Reason: SelfAttested